म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषयः—दिनांक 02.09.2015 को आयोजित राज्य रक्ताधान परिषद् मध्यप्रदेश की कार्यकारिणी समिति की बैठक।

——00——

दिनांक 02.09.2015 को 3.00 बजे अपरांह उक्त समिति की बैठक मंत्रालय के समिति कक्ष क्रमांक 116 में आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित थेः—

1.	**श्रीमती गौरी सिंह** **प्रमुख सचिव,** मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	**अध्यक्ष**
2.	**श्री पंकज अग्रवाल ,** **नियंत्रक,**खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं **स्वास्थ्य आयुक्त**, भोपाल	**सदस्य**
3.	**डॉ. के.के. ठस्सू ,** **संचालक,** चिकित्सा सेवायें, भोपाल	**सदस्य**
4.	डॉ. आर.के. निगम, **प्राध्यापक पैथालाजी,** गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	**सदस्य**
5.	**डॉ. यू.सी. यादव,** **संयुक्त संचालक (रक्त सुरक्षा)** म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल	**आमंत्रित सदस्य**
6.	**डॉ. अर्चना मिश्रा,** **उपसंचालक** **प्रतिनिधि**— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र., भोपाल	**आमंत्रित सदस्य**
7.	**डॉ. नवनीत कोठरी** **संचालक,राज्य रक्ताधान परिषद्** एवं , **राज्य स्वास्थ्य, आई.ई.सी. ब्यूरो**, भोपाल	**सदस्य सचिव**

समिति द्वारा एजेण्डावार चर्चा की गई।

एजेंडा बिन्दु–(1) राज्य रक्ताधान परिषद का – पदपूर्ति एवं पृथक कार्यालय भवन हेतु अनुमोदन ।

निर्णयः–विचारोपरांत समिति द्वारा डॉ. सी.एम. त्रिपाठी, उपसंचालक, राज्य रक्ताधान परिषद को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में पदेन उपसंचालक (रक्तकोष) का प्रभार दिया जाकर वित्तीय वर्ष 2015–16 की पीआईपी में स्वीकृत 1-State Coordination Officer, 2-Data Entry Operators, 1-Attendant पदों को एन.एच.एम. द्वारा भर्ती कर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में पदस्थ किया जाकर राज्य रक्ताधान परिषद का भी कार्य सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया।

परिषद के कार्यालय के संबंध में समिति द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने का निर्णय लिया।

(कार्यवाहीः–एस.बी.टी.सी. / एम.डी.एन.एच.एम.)

एजेण्डा बिन्दु–(2) राज्य रक्ताधान परिषद कार्ययोजना वर्ष 2015–16 का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।

निर्णयः–विचारोपरांत समिति द्वारा यथा स्थिति बनाये रखते हुये कर्मचारियों के वेतन भत्ते, वाहन किराया, कार्यालय व्यय एवं अन्य गतिविधियों के बजट का प्रस्ताव राज्य शासन की स्वीकृति हेतु पृथक से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाहीः–एस.बी.टी.सी.)

एजेण्डा बिन्दु–(3) मध्यप्रदेश के समस्त इंडियन रेडक्रास सोसायटी एवं अशासकीय ब्लड बैंको में नई प्रोसेसिंग चार्जेस लागू करने हेतु निर्णय।

निर्णयः– वर्तमान में प्रचलित प्रोसेसिंग चार्जेस वर्ष 2009 में निर्धारित किए गए थे। इस दौरान हुई मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में नेशनल ब्लड ट्रांस्फ्यूजन काउन्सिल, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, एड्स कन्ट्रोल विभाग का पत्र क्रमांक S.12016/01/2012-NACO(NBTC) दिनांक 12.02.2014 द्वारा शासकीय ब्लड बैंकों के लिए प्रस्तावित प्रोसेसिंग चार्जेस प्रदेश के सभी शासकीय/अशासकीय ब्लड बैंकों में निम्नानुसर दिनांक 01.01.2016 लागू करने का अनुमोदन दिया गया :–

क्र.	विवरण	वर्तमान दरें (राशि रू.)	अनुशांसित दरें (राशि रू.)
1.	Whole Blood	850/–	1050/–
2.	Packed Red Calls	850/–	1050/–
3.	Fresh Frozen Piasma	400/–	300/–
4.	Platelet Concentrate	400/–	300/–
5.	Cryoprecipitate	200/–	200/–

(कार्यवाहीः–एस.बी.टी.सी.)

एजेण्डा बिन्दु–(4) प्रदेश में **Strengthening & Up gradation of Blood Banks** का क्रियान्वयन किये जाने का अनुमोदन।

निर्णयः– समिति द्वारा परामर्श दिया गया कि इस विषय में अपेक्षित कार्यवाही संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें व राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा त्वरित रूप से की जाए।

एजेण्डा बिन्दु–(5) National Core Blood Banks Assessment Committee की अनुशंसा के एजेण्डा बिन्दुओं का अनुमोदन।

<u>टीप</u>

Dr. Jagdish Prasad, Director General of Health Services की अध्यक्षता में National Core Blood Bank Assessment Committee की बैठक दिनांक 26 मई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। उक्त बैठक में ब्लड बैकिंग से सम्बंधित निम्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई है :–

1. Bulk transfer of whole blood and components between blood banks.
2. Blood Storage Centres.
3. NOC from State Blood Transfusion Council for application for licensure to any Blood Bank.
4. Criteria for Regional Blood Transfusion Council.

उपरोक्त के सम्बंध में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 07.08.2015 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में एजेण्डवार चर्चा की गई एवं उपरोक्त अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य रक्ताधान परिषद की कार्यकारिणी में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई। अनुशंसाबार समिति द्वारा निम्नानुसार विचारण किया गया :–

(i) Bulk transfer of whole Blood and Components between Blood Banks.

निर्णयः– सर्व सम्मति से अनुशंसा की गई की सभी प्रकार के ब्लड बैंकों के मध्य National Core Blood Banks Assessment Committee की अनुशंसाओं के अनुरूप पोर्टबिलिटी मान्य की जाए।

(ii) Blood Storage Centres.

निर्णयः–सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 6 अथवा अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों को ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने हेतु मान्य किया जाये। उक्त ब्लड स्टोरेज यूनिट में आवश्यकता अनुसार चिन्हित मदर ब्लड बैंक से रक्त की प्रदायगी की जा सकेगी। इन संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का विधि अनुसार आयोजन कर अपनी आवश्यकता का 130% रक्त एकत्रित कर मदर ब्लड बैंक को उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(iii) NOC from State Blood Transfusion Council for application for licensure to any Blood Bank.

निर्णयः— सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि प्रदेश में और अधिक ब्लड बैंक खोले जाने की आवश्यकता होने के कारण National Core Blood Banks Assessment Committee की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। प्रत्येक अस्पताल जिसमें 50 या उससे अधिक बिस्तर हैं, ब्लड बैंक का संचालन कर सकेगा। ऐसे ब्लड बैंक का संचालन अस्पताल परिसर में ही व संबंधित अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वयं किये जाने की बाध्यता होगी। इस हेतु एस.बी.टी.सी. से एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) Criteria for Regional Blood Transfusion Council.

निर्णयः— प्रत्येक ब्लड बैंक जो कमेटी की अनुशंसाओं का पालन करने में सक्षम है। RBTC के लिए आवेदन कर सकता है।

(v) All Blood Banks upon receipt of license must register with the respective State Blood Transfusion Councils.

निर्णयः— सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

(vi) Blood Donation camps may be conducted by all Govt. IRCS and Blood Banks possessing No Objection Certificate from the SBTC, including hospital based corporate Blood Banks.

निर्णयः— सर्व सम्मति से सहमति व्यक्ति की गई।

उपरोक्तानुसार सभी एजेण्डा बिन्दुओं पर अनुमोदन दिया गया।

(कार्यवाहीः—एस.बी.टी.सी.)

एजेण्डा बिन्दु—(6) केन्द्र शासन के मेचिंग अनुदान के अनुसार राज्य शासन से मेचिंग अनुदान प्राप्त करने का अनुमोदन।

निर्णयः— **समिति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से शत—प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करने का परामर्श दिया गया।**

(कार्यवाहीः—एस.बी.टी.सी./म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी)

एजेण्डा बिन्दु–(7) कोई अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपयोगी **Plasma Products** के संबंध में।

श्री रीतेश सराफ, Deputy General Manager, Intas Pharmaceuticals Limited, Ahmedabad, Gujarat, India के पत्र क्रमांक Intas-CD/PR/072015-033 दिनांक 03.07.2015 द्वारा collect excess (surplus) human plasma from Blood Banks हेतु प्रस्ताव पर राज्य रक्ताधान परिषद से अनुमति चाही गई है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः–विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुपयोगी **Plasma Products** का निष्पादन पश्चात् उपयोग किये जाने का टेंडर करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की उर्पाजन शाखा को प्रस्ताव भेजा जाए।

(कार्यवाहीः–एस.बी.टी.सी./उर्पाजन शाखा)

उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)
भा.प्र.से.
संचालक
राज्य रक्ताधान परिषद एवं
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश